न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 117/2021

1 सन्तोषदेवी पुत्रील हीरालाल पत्नी लेखराज जाति कुम्हार निवासी डंगरखेडा तहः अबोहर जिला फाजिल्का (पंजाब)

.....प्रार्थीया

बनाम

1 हीरालाल पुत्र भगवानाराम जाति कुम्हार निवासी वार्ड 35 चहल चौक श्रीगंगानगर वगै0

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

–: निर्णय :– **दिनांक :– 02.3.2022**

प्रार्थीया द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र में मुख्य आधार यह पेश किया गया कि उसके दादा भगवानाराम के नाम से चक 6 ई छोटी, श्रीगंगानगर में जमीन दर्ज थी। प्रार्थिया के पिता हीराराम द्वारा उस जमीन का बेचान कर ही विवादित जमीन चक 26 के.वाई.डी. के मुरब्बा नम्बर 225/8 की 3.03 हैक्टेयर भूमि खरीद की गई इसलिए विवादित जमीन पैतृक संपति है और उसमें प्रार्थिया का जन्म से हिस्सा है।

अप्रार्थी सं.1 द्वारा जवाब पेश किया गया है कि चक 6 ई छोटी स्थित जमीन का बेचान 1979 में किया गया था। उस समय प्रार्थिया का जन्म भी नहीं हुआ था। उसके बाद अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा खुद की मेहनत से अर्जित कमाई से 2002 में विवादित जमीन खरीद की गईं।

इन तथ्यों पर गौर करने के बाद अदालत की यह राय है कि यह मानना उचित नही होगा कि 1979 में जमीन बेच कर प्राप्त की गई संपति के आधार पर ही 2002 में विवादित जमीन खरीद की गई it would not be reasonable and surt क्योकि दोनो वाक्यात के बीच में बहुत ज्यादा वक्त है (23साल) दोनों के बीच duoet cause effect संबंध स्थापित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता । प्रार्थिया द्वारा 16/2 को पेश किये गये जवाब में भी ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया है जिससे दोनों वाक्यात् के बीच duoet link जाहिर हो सके इस जवाब में स्थगन प्रार्थना पत्र में लिखे गए तथ्यों को ही दोहराया गया है जबकि अदालत द्वारा 18/08/21 को निर्देश भी दिए गए थे।

इसलिए अदालत का मानना है कि विवादित जमीन के सिलसिले में 18/08/21 को जारी किए स्थगन आदेश की कायम रखना जायज नहीं है इसलिए धारा 151 सीपीसी के तहत उक्त स्थगन आदेश को खारिज किया जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)